



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022026-270004
CG-DL-E-10022026-270004

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 620]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 6, 2026/माघ 17, 1947

No. 620]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 6, 2026/MAGHA 17, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2026

का.आ. 650(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-135B के सिरमौर - डभौरा खंड के कि.मी. 43+500 से कि.मी. 73+813 तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-135B के सिरमौर - डभौरा खंड के कि.मी. 43+500 से कि.मी. 73+813 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7						
1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जवा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH135B के कि.मी 43.5 से कि.मी 73.813 तक	मध्य प्रदेश	रीवा	जवा	<table><tr><td>1</td><td>रमगढवा</td></tr><tr><td>2</td><td>पूछी</td></tr><tr><td>3</td><td>सीगोटोला</td></tr></table>	1	रमगढवा	2	पूछी	3	सीगोटोला
1	रमगढवा											
2	पूछी											
3	सीगोटोला											

[फा. सं. CE-ROBPL/30010/77/25-26]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2026

S.O. 650(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for NH-135B section of Sirmaur - Dabhaura from Km. 43+500 to Km. 73+813 in the State of MADHYA PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 135B section of Sirmaur - Dabhaura from Km. 43+500 to Km. 73+813 in the State of MADHYA PRADESH.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7						
1	Sub Divisional Officer (R.) Jawa	NH135B KM 43.5 TO KM 73.813	MADHYA PRADESH	REWA	Jawa	<table><tr><td>1</td><td>Ramgarhwa</td></tr><tr><td>2</td><td>Punchhi</td></tr><tr><td>3</td><td>Sigotola</td></tr></table>	1	Ramgarhwa	2	Punchhi	3	Sigotola
1	Ramgarhwa											
2	Punchhi											
3	Sigotola											

[F. No. CE-ROBPL/30010/77/25-26]

SHAIKH AMINKHAN, Director